

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 675 राँची, ग्रुवार,

10 पौष, 1942 (श॰) 31 दिसम्बर, 2020 (ई॰)

परिवहन विभाग

अधिसूचना 30 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना संख्या-परि0िव0-174/09-3423-- भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक सह-पिठत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-213 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्निति एवं सेवा की अन्य शर्त्ते) नियमावली, 2010 में निम्न प्रकार संशोधन करते है:-

झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्निति एवं सेवा की अन्य शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2020

- 1. (i) इस नियमावली को झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जाएगी।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - (iii) यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
- 2. झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्निति एवं सेवा की अन्य शर्त्ते) नियमावली, 2010 के भाग-2 के नियम-4 को निम्निलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
- "अह्ताएँ- संवर्ग में मोटरयान निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत का॰आ॰-1215(अ), दिनांक-08.03.2019 के आलोक में अभ्यर्थियों की निम्नलिखित अह्ताएँ होंगी -

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास; और
- (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठयक्रम);

या

यांत्रिक इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठयक्रम);

या

ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक इंजीनियरिंग में उच्चतर योग्यता; और

- (iii) गियर वाली मोटर साइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति का धारण करना।"
- 3. यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-23.12.2020 (मद सं॰-08) में अनुमोदित है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

के॰ रिव कुमार, सरकार के सचिव परिवहन विभाग।

Transport Department

Notification 30 December, 2020

No.:- Pari.Vi.-174/ 09-3423-- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article-309 of the Constitution of India read with section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 the Governor of Jharkhand makes the following Rules to amend the Jharkhand Motor Vehicle Inspector Cadre (Recruitment, Promotion & other condition of service) Rule, 2010:-

- 1. Short title, extension and commencement
 - (i) These Rules may be called The Jharkhand Motor Vehicle Inspector Cadre (Recruitment, Promotion & other condition of service) (Amendment) Rules, 2020.
 - (ii) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.
 - (iii) It shall extend to the whole of State of Jharkhand.
- 2. Rule-4 of Part-II of the Jharkhand Motor Vehicle Inspector Cadre (Recruitment, Promotion & other condition of service) Rule, 2010 shall be substituted by the following:-
- "Eligibility In the light of Central Government S.O.-1215(E) dated-08.03.2019, issued exercising the power conferred under section 213 (4) of the Motor Vehicles Act, 1988 the eligibility criteria for candidates for direct recruitment in the cadre on the post of Motor Vehicles Inspector shall be following:-
 - (i) 10th standard pass from any recognized board; and
 - (ii) A Diploma in Automobile Engineering (three year course);

or

A Diploma in Mechanical Engineering (three year course),

or

Higher Qualification in Automobile or Mechanical Engineering, awarded by any institution recognized by the Central Government or State Government; and

- (iii) Holding a driving license authorizing to drive motor cycle with gear and light motor vehicles."
- 3. This proposal has approved in the cabinet meeting dated-23.12.2020 (Item no.-08).

By order of The Governor of Jharkhand,

K. Ravi Kumar,

Secretary to Government Department of Transport
